कंट्रोल है इस मिलावट को रोकने के लिए ताकि खाने के लायक अनाज मिल सके ... (व्यवधान)

जो दूरदराज के इलाके हैं क्या वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए सरकार ने कोई इंतजाम किया है या ये सारी जिम्मेवारी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पर ही छोड़ देते हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : जहां तक अनाज की बात है, जैसा कि अभी बताया गया कि तकरीबन दो करोड़ टन अनाज प्रोक्योर होता है, स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद स्टेट्स को दिया जाता है। यह काम कोई नया काम नहीं है। पिछले कई वर्ष से, 30–40 वर्ष से फूड कारपोरेशन यह काम करता आ रहा है। स्टेट्स को जब एलोकेशन किया जाता है तो स्टेट के नामीनेटेड एजेंट्स होते हैं। फूड कारपोरेशन किसी फेयर प्राइस शाप को या किसी और को, किसी प्राइवेट एजेंसी को यह माल नहीं देता है। सारा अनाज स्टेट के नामीनेटेड एजेंट्स जो होते हैं और जनरली तमाम स्टेट्स के जो सिविल सप्लाइज़ कारपोरेशंस हैं यह अनाज रिसीव करते हैं। ये, अनाज रिसीव करने के बाद फिर इन टर्न अपनी स्टेट के अंदर उसको तकसीम करते हैं और यह सिस्टम भी तमाम स्टेट्स में कोई एक-सा सिस्टम नहीं है। हर स्टेट में जैसा कि उन्होंने अपना सिस्टम लगा रखा है उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फूड कारपोरेशन सिर्फ टिल रीसेंटली वेस्ट बंगाल में और पार्टली केरल के एक हिस्से में एक होलसेल एजेंट के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट से, कुछ उनको, डाइरेक्ट पी.डी.एस. की शाप्स को देता था। जहां यह डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए कोई तरीका मुकर्रर है। दोनों, गेहूं और चावल के लिए स्टेंडर्ड मुकर्रर किए हुए हैं। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत जो स्टैंडर्ड मुकर्रर किये गये हैं उनके तहत जितनी पाबंदियां लगाई गई हैं, ये जो रिसीविंग एजेंसी हैं, ये देखती हैं कि माल ठीक है कि नहीं। उनको यह आजादी है कि माल ठीक नहीं है तो वे रिजैक्ट कर दें या उसको हटाकर रिप्लेस करवा दें। यह सारा अरेंजमेंट वहां पर मौजूद है।

अगर कहीं स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ होती है तो वहां हो सकती है

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: Sir, while answering the question, the hon. Minister, Mr. Antony, has sai that the Government is spending about Rs. 3,000 crores as subsidy on the PDS and, because of the revamping, it has been increased and Government is not in a position to give any additional amount. That means the only way to have a solution is by increasing the prices of the articles which are being distributed through the PDS. Are you implementing the direction of the I.M.F. to withdraw subsidy by increasing the prices of PDS articles?

SHRI A. K. ANTONY: First of all, I did not say that the Government will not increasee a single pie more than Rs. 3,000 crores. If needed, the Government will again increase the food subsidy. But the Government will not be able to increase the food subsidy to any amount. That is what I said.

As far as the food subsidy is conerned, the Government is very committed. PDS and food subsidy are one of the priority items of this Government. Nobody went back on this commitment. Nobody can direct this Government to abandon the PDS and subsidies. We will continue with these.

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: You have not withdrawn the subsidy, but increasing the prices of these commodities itself is one way of withdrawing the subsidy.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

श्रम कानूनों में संशोधन किया जाना

***4. श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 1993 को इकोनोमिक टाइम्स में "इंडिया मूविंग टुवार्डस न्यु लेबर ला रिजीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार देश में विदेशी पूंजी को आकृष्ट करने के लिए देश के वर्तमान श्रम कानूनों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) अप्रैल 1990 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में नये औद्योगिक संबंध विधेयक के लिए विशिष्ट प्रस्तावों को प्रारूपित करने के लिए मई, 1990 में श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में कर्मचारी संगठनों तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक द्विपक्षीय समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1990 में प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशें सर्वसम्मत नहीं थी। रिपोर्ट पर फरवरी, 1992 में आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन तथा सितम्बर, 1992 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। रिपोर्ट में असहमति के क्षेत्रों पर भी पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों की समिति में विचार विमर्श किया गया। इन विचार-विमर्शों के आधार पर और औद्योगिक पुर्नसंरचना संबंधी अन्तर्मंत्रालीय दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1976 में संशोधित करने के लिए विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निवेश, उद्योग का आधुनीकीकरण एवं रोजगार संवर्धन के लिए उत्प्रेरक वातावरण तैयार करने की इच्छा व्यक्त की गई है।

समाचारपत्र कर्मचारियों के लिये वेतन बोर्ड का गठन

***5. श्री राम सिंह राठवा :**
श्री शांति त्यागी:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्र कर्मचारियों तथा पत्रकारों के लिये नये वेतन एवं पेंशन योजना के संबंध में कोई वेतन बोर्ड गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं और सरकार ने किन-किन व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया है तथा उनका कार्यकाल कितना है;

(ग) क्या सरकार को समाचारपत्र कर्मचारियों तथा पत्रकारों के लिये पेंशन योजना लागू किये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस पेंशन योजना को कब तक लागू करने का विचार रखती है और इस योजना से कितने कर्मचारी तथा पत्रकार लाभांवित होंगे और यह यह योजना किस वर्ष से लागू की जायेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ख) श्रमजीवी पत्रकार और गैरपत्रकार समाचारपत्र व समाचार-एजेंसी कर्मचारियों के लिये नये वेतन बोर्ड के गठन के मामसू पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है । कर्मचारी भविष्य निधि के अंश दाताओं के लिये प्रस्तावित पेंशन योजना योजना के बारे में विभिन्न श्रमिक सघों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं । उपर्युक्त पेंशन योजना लागू करने के लिये सरकार द्वारा राज्य सभा में एक विधेयक पहले ही रखा जा चुका है । सरकार का प्रयास योजना को इस तरह से लागू करने का